आदेश पर ... गई कार्रवाई ... बारे में टिप्पणी ... सहित

(2)

कार्यालय, अंचल अधिकारी, चतरा।

विविध वाद सं0 21/2021-22

आदेश पत्रक

1.

आवेदक उदय शंकर अग्रवाल, पिता–स्व0 बैजनाथ प्रसाद अग्रवाल द्वारा दिए गए आवेदन का अवलोकन किया। इनके द्वारा आवेदन में उल्लेखित किया गया है कि निबंधित केवाला सं0–2299 दिनांक 15.05.1978 से उदय शंकर अग्रवाल (आवेदक) एवं प्रदीप कुमार अग्रवाल, पिता–स्व0 बैजनाथ प्रसाद अग्रवाल द्वारा भूमि क्रय की गई। भूमि खरीदगी के पश्चात दाखिल–खारिज स्वीकृत होकर पंजी–II के पृष्ठ सं0–121/1 पर जमाबंदी कायम की गई है, उक्त जमाबंदी में आवेदक का नाम अंकित नहीं किया गया है। केवाला के अनुसार केवाला में अंकित आधा भूमि में इनका हक हिस्सा है। पंजी–II में नाम दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

आवेदन के साथ आवेदक द्वारा केवाला की छायाप्रति, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, पिता–स्व0 बैजनाथ प्रसाद अग्रवाल, सा0–मारवाड़ी मुहलला, चतरा द्वारा किए गए शपथ पत्र एवं पंजी–II की सत्यापित प्रति की छायाप्रति संलग्न किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र पर राजस्व उपनिरीक्षक तथा अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–लिपदा, थाना सं0–184 में खाता सं0–26, प्लॉट सं0–333,334,335 रकबा क्रमशः–0.02 ए0, 0.52 ए0, 0.10 ए0 मथुरा महतो, पिता–चमर महतो वगै0 के नाम से सर्वे खतियान में रैयती खाता दर्ज है। ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0–121/1 पर खाता सं0–26, प्लॉट सं0–333,334,335, रकबा क्रमशः–0.01 ए0, 0.26 ए0 एवं 0.05 ए0 कुल रकबा–0.32 ए0 भूमि की प्रदीप कुमार अग्रवाल, पिता–स्व0 बैजनाथ अग्रवाल के नाम से जमाबंदी कायम है तथा वर्ष 2019–20 तक लगान रसीद निर्गत है, पंजी–II के पृष्ठ सं0–72/2 पर खाता सं0–26, प्लॉट सं0–333,334, रकबा क्रमशः–0.01 ए0 एवं 0.03 ए0 कुल रकबा–0.04 ए0 भूमि की दाखिल–खारिज वाद सं0–102/2019–20 के अनुसार विकाश प्रकाश अग्रवाल, पिता–प्रदीप कुमार अग्रवाल के नाम से जमाबंदी कायम है। पुनः पंजी–II के पृष्ठ सं0–73/2 पर खाता सं0–26, प्लॉट सं0–334,335, रकबा–

Scanned with OKEN Scanner

0.23 ए0 एवं 0.05 ए0 कुल रकबा–0.28 ए0 भूमि की दाखिल–खारिज वाद सं0–103/2019–20 के अनुसार विकाश प्रकाश अग्रवाल, पिता–प्रदीप कुमार अग्रवाल के नाम से जमाबंदी कायम है। केवाला सं0–2299 दिनांक 15.05.78 के अनुसार प्रश्नगत भूमि कुल रकबा–0.64 ए0 भूमि श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल वो उदय शंकर अग्रवाल के नाम से भूमि क्रय किय गया था, जिसका राजस्व पंजी–II के पृष्ठ सं0–121/1 पर लगान रसीद सं0–194420 दिनांक 13.08.1998 के अनुसार खाता सं0–26, रकबा–0.64 ए0 भूमि की जमाबंदी प्रदीप कुमार अग्रवाल के नाम से कायम है। प्रदीप कुमार अग्रवाल द्वारा अपने हिस्से की भूमि 0.32 ए0 भूमि बिक्री के पश्चात शेष 0.32 ए0 भूमि उदय शंकर अग्रवाल के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने की अनुशंसा राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा की गई है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि निबंधित केवाला सं0–2299 दिनांक 15.07.1978 में क्रेता के रूप में श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल एवं श्री उदय शंकर अग्रवाल, पिता–स्व0 बैजनाथ प्रसाद अग्रवाल है। उक्त केवाला में खाता सं0–26, प्लॉट सं0–333,334,335, रकबा क्रमशः–0.02 ए0 0.52 ए0 एवं 0.20 ए0 कुल रकबा–0.64 ए0 अंकित है। पंजी–II की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल के नाम से 0.64 ए0 की जमाबंदी कायम है। उक्त जमाबंदी दाखिल–खारिज केश नं0–80/78–79 के आधार पर कायम की गई है। जमाबंदी रैयत श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, सा0–मारवाड़ी मुहल्ला, चतरा द्वारा शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें यह उल्लेखित है कि मैं तथा उदय शंकर अग्रवाल ने मिलकर निबंधित केवाला सं0–2299 दिनांक 15.05.1998 द्वारा 0.64 ए0 भूमि गंगा महतो से खरीद कर संयुक्त रूप से दाखलकार है। पंजी–II के पृष्ठ सं0–121/1 में सिर्फ प्रदीप कुमार अग्रवाल का नाम अंकित है, उदय शंकर अग्रवाल के नाम से 0.32 ए0 भूमि का रसीद निर्गत किया जा सकता है, इसमें इनको कोई आपत्ति नहीं है।

भूमि रैयती खाते की भूमि है जमाबंदीदार श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से श्री उदय शंकर अग्रवाल के नाम से 0.32 ए0 भूमि का रसीद निर्गत करने में इनको कोइं आपत्ति नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा भी आवेदक के नाम से जमाबंदी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने की अनुशंसा की गई है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल के द्वारा अपने हिस्से की 0.32 ए0 भूमि बिक्री की गई है फलस्वरूप ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ सं0–121/1 पर श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल के नाम को विलोपित करते हुए शेष जमाबंदी 0.32 ए0 भूमि श्री उदय शंकर अग्रवाल का नाम अंकित कर खाता सं0–26, प्लॉट सं0–333, रकबा–0.01 ए0, प्लॉट सं0–334, रकबा–0.26 ए0, प्लॉट सं0–335, रकबा–0.05 ए0 कुल रकबा–0.32 ए0 भूमि का ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। राजस्व उपनिरीक्षक अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें।

16/4/22

अंचल अधिकारी,
चतरा।

लेखापित एवं संशोधित

16/4/22

अंचल अधिकारी,
चतरा।

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.07.20 21:28:29 -07:00
Location: 192.168.1.41

Scanned with OKEN Scanner